कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम–नैनबारा ग्राम पंचायत – नैनबारा तहसील–झाडोल (फ.) जिला उदयपुर मे नैनबारा से वरडी खात तक सड़क निर्माण कार्य मे 9.450 कि.मी. लम्बाई व 7.50 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 7.0875 हैक्टर वन भूमि के संबंध में आज दिनांक 1.03.2019 को जिलास्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

उक्त सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 7.0875 हैक्टर वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम -2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तदनुसार नैनबारा से वरडी खात सड़क निर्माण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नम्बर	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि (हैक्टर)	वन अधिकार पत्र जारी / दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1.	नैनबारा से वरडी खात सडक निर्माण कार्य	9.450 कि.मी. लम्बाई व 7.50 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 7.0875 हैक्टर	राजस्व ग्राम नैनबारा 3, 230, 352 जेकडा 1638 1642 एवं खेरा 12,15	नैनबारा जेकडा	7.0875	नहीं	ग्राम पंचायत आयोजित ग्राम सभा दिनांक 24.02.2019 एवं उपखण्ड स्तरीय समिति बैठक दिनांक 1.03.2019

उपवन संरक्षक
उदयपुर

परियोजना अधिकारी
टी.ए.डी. उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

(श्री भंवर सिंह पंवार)
(सदस्य)

(श्री भैरूलाल वखेरा)
(सदस्य)

(श्रीमती ममता गरासिया)
(सदस्य)

FORM-1

(For Linear Project)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, UDAIPUR (RAJ.)

No.: प–39/1( )राज/गे.व.भु.प्र./विविध/2018/632 Dated: 5-03-2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98 FC (Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein 7-0875 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of PWD department Udaipur is being diverted in lieu of use of 7-0875 hectare of forest land in Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Nirman New road work from Nenbara to Vardi Khat in District Udaipur. This 7-0875 hectare of land Vilage Nenbara Khasra No. 3, 290, 352, And Vilage Jhekada Khasra No. 1638, 1642 And Vilage Sera Khasra No.12 , 15 fall in village Nenbara, Jhekada, Sera within jurisdiction of Jhadol Tehsil.

It is further certified that :

a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7-0875 hectare of forest area proposed for diversion, A copy of records of all consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabaha(s) Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.

b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their Consent to it.

c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Inc.:- Gram Sabha Samiti
Sub Divisional Samiti
and Distt. Level Samiti

District Collector
Udaipur (Raj.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल जिला उदयपुर

क्रमांक– वनाधिकार / राजस्व / 2019 / 407 दिनांकः– 01-03-2019

FRA RSN 01.3.19

प्रेषिति:–

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
उदयपुर

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत नैनबारा से वरडीखात अनुरक्षण प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए एफआरए प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

प्रसंग :– आपका पत्रांक प.39 / 1( )राज / गै.व.भू.प्र. / विविध / 16 / 163–164 दिनांक 15.01.2019 एवं पत्रांक 520 दिनांक 22.02.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि उदयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत नैनबारा से वरडीखात के लोक प्रयोजन के लिए वन क्षेत्र में से निकलने वाले भाग हेतु श्रीमान के प्रासंगिक पत्र के कम में एफआरए हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति झाडोल से ग्राम पंचायत नैनबारा के संशोधित एफआरए प्रस्ताव / अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम की ग्राम सभा से निर्णित होकर प्राप्त होने पर जिला स्तरीय कमेटी को भिजवाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा व उपखण्ड स्तर से पारित प्रस्तावो की प्रति मूल ही सलग्न है

विकास अधिकारी पंचायत समिति झाडोल के पत्राक एफ1( )पसझा / वनाधिकार / 2018–19 / 3073 दिनांक 01.03.2019 अनुसार ग्राम पंचायत नैनबारा का ग्राम सभा स्तर तथा उपखण्ड वनाधिकार समिति स्तर पर कोई दावा विचाराधीन / लंबित नही है। (प्रति संलग्न है)

सलंग्नः– उक्तानुसार

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल
जिला उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1. परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड कोटडा उदयपुर।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति झाडोल ।

उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल
जिला उदयपुर

लीनियर प्रोजेक्ट के लिये

(यह बात जिस किसी से भी संबंध रखती है)

जनजातियों तथा अन्य वनक्षैत्र निवासियों के निवास अधिकार (FRA 2006) की अनुपालना में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98 (pt) द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2009 आदेश जारी किया गया जिसमें बन क्षैत्र के गैर वन उदेश्यों के लिये परिवर्तित करने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 5 फरवरी 2013 के आदेश द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट के लिये उदारता बरतने का आदेश जारी किया गया। इसी कम में सेटलमेंट की प्रकिया की शुरूआत करने के साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त यह प्रमाणित किया जाता है कि 7.0875 हैक्टयर वन्य भूमि का गैर वन्य कार्यो के लिए अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त उदयपुर के पक्ष में डाइवर्ट करना प्रस्तावित है।
विवरण निम्न प्रकार है।
केन्द्रीय सरकार की योजना में राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नैनबारा से वरडीखात झाड़ोल उपखण्ड में:–

ग्राम नैनबारा– खाता संख्या 1 के आराजी नम्बर 1857 रकबा 16.22 हैक्टर में से 7.0875 हैक्टर

आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि

(अ) FRA के अन्तर्गत 7.0875 हेक्टयर भूमि, जिसका भू उपयोग बदला जाना है, सेटलमेन्ट अधिकारों के पहचान की सम्पूर्ण प्रकिया को पूरा कर लिया गया हे। सारी भू अधिकार समितियों–ग्राम सभा, उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्णय की प्रति संलग्न है।
नोटः– विकास अधिकारी प0स0 झाडोल के पत्रांक 1803 दिनांक 12.02.2019 के अनुसार ग्राम सभा स्तर तथा उपखण्ड बनाधिकार समिति स्तर पर कोई दावा विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
(आ) जिस जमीन का भू उपयोग का परिवर्तन, FRA के सेक्शन 3(2) के अन्तर्गत सरकार के कार्यो के लिये किया जाना है, उसके लिये ग्राम सभा ने स्वीकृति दे दी है।
(इ) प्रस्ताव में आदिम जनजातियों (Primitive Tribal Groups) तथा कृषिपूर्व समुदायों(Pre-agricultural Communities) के अधिकार प्रभावित नहीं होते है।

क्षैत्रिय वन अधिकारी झाडोल	विकास अधिकारी पस झाडोल	उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल जिला उदयपुर
सदस्यगण जेना देवी उपान झाडोल	सदस्यगण डॉ॰ मरगोत्र उपप्रधान झाडोल	सदस्यगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर

कमाक–वनाधिकार / राजस्व / 2019 / 412 दिनांक 01-07-2019

प्रमाण पत्र

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–9/98 (पीटी) दिनांक 03 अगस्त 2009 जिसमे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 (एम.ओ.ई.एफ.) के तहत वन अधिकार के निपटाने की प्रकिया प्रारम्भ कर , निपटान की प्रक्रिया पूर्ण कर सबूत प्रस्तुत करने के दिशा निर्देशो की अनुपालना मे यह प्रमाणित किया जाता है क उदयपुर जिले की झाडोल तहसील के ग्राम नैनबारा से वरडीखात तक प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हेतु 7.0875 है0 वन भूमि सडक बनाने हेतु गैर वन उद्देश्यो के लिए प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है:–

01. झाडोल तहसील के ग्राम नैनबारा से वरडीखात तक सडक की रकबा 7.0875 है0 वन भूमि जो कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है, के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकारो की पहचान और निरस्तारण के लिए पूरी प्रकिया अपनाई गई है। जिसके अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत नैनबारा की ग्राम द्वारा नैनबारा द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन आ अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

02. उपर्युक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तहसील झाडोल की ग्राम पंचायत नैनबारा मे (पूर्ण परियोजना के विवनण और उसके प्रभाव के साथ स्थानीय भाषा मे) एफ.आर.ए. की प्रासंगिक के तहत वनबासियो से संबंधित ग्राम सभा मे रखा गया है। तथा ग्राम पचांयत नैनबारा के क के अध्यधीन नैनबारा की ग्राम सभा द्वारा भूमि को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया।

03. तहसील झाडोल से संबंधित ग्राम सभा ने प्रासंगिकता के तहत सभी औपचारिकताओ / प्रकियो को अपनाते हेए प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के उद्देश्यो को विस्तृत रूप से समझकर विकास और मुआवजा (यदि कोई हो) के उपय करने एव प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है। एंव प्रमाणित किया है।

04. तहसील झाडोल की ग्राम सभा में ग्राम नैनबारा मे प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पुर्ण कोरम होने के पश्चात विधिवत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर सशर्त अनापत्ति दी गई है।

05. वनाधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत जरूरी सरकार द्वारा प्रबन्धित सुविधाओ के लिए वन भुमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है और ग्राम पंचायत नैनबारा की ग्राम सभा ने हय करने की अपनी सहमति दे दी है।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी झाडोल
जिला उदयपुर

कार्यालय पंचायत समिति झाड़ोल (फ.), जिला– उदयपुर

क्रमांक:– पसझा/वन अधिकार/2018–19/3073 दिनांक 1-3-19

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि पीएमजीएसवाई सड़क नैनबारा से वरडी खात ग्राम पंचायत नैनबारा राजस्व ग्राम सैरा एवं नैनबारा में होकर निकाली जानी है। उक्त राजस्व ग्राम की ग्राम पंचायत के प्राप्त प्रमाण–पत्र के आधार पर व्यक्तिगत वनाधिकार एवं सामुदायिक वनाधिकार की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत स्तर पर कोई लम्बित नहीं है।

अतः प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जाता है।

(रेखा गौड़ RRDS)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति झाड़ोल

राजस्थान सरकार

कार्यालय ग्राम पंचायत, नैनबारा

पंचायत समिति झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज.)

और से,
(बसन्तीदेवी कटारा)
सरपंच
ग्राम पंचायत–नैनबारा
पं.स. झाड़ोल (फ) जिला उदयपुर (राज.)
मोबाईल : 8003082736

क्रमांकः– ग्रा. नैनबारा/2018-19/41 दिनांक 27-02-2019

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नैनबारा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नैनबारा से वरड़ीमाल सड़क के 7.0875 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन स्वीकृत है। उक्त सड़क आमजन के मार्ग का जरिया है। उक्त सड़क निर्माण में ग्राम पंचायत नैनबारा को कोई आपत्ति नहि है। साथ ही उक्त सड़क पर वन अधिकार अधिनियम 2006 व संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त सड़क पर व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार समिति द्वारा कोई भी अधिकार पत्र जारी नहि किया गया है। और नहि कोई प्रकरण विचाराधीन है।

बसन्तीदेवी

(बसन्तीदेवी कटारा)
सरपंच
ग्राम पंचायत–नैनबारा
पं.स. झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नैनबारा
पं.स. झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय ग्राम पंचायत, नैनबारा

पंचायत समिति झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज.)

और से, **सरपंच/सचिव** ग्राम पंचायत—नैनबारा पं.स. झाड़ोल (फ) जिला उदयपुर (राज.)	सहायक अभियन्ता PWD - झाड़ोल (फ) जिला- उदयपुर (राज.)

क्रमांकः– ग्रा.पं./नैनबारा/2013/26 दिनांक..........

विषय:- PMGSY का प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में:-

प्रस्ताव सं. 03 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नैनबारा से बारडीखाड़ा सड़क के 7.0875 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति एवं एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र का अनुमोदन करना। ग्राम पंचायत नैनबारा के ग्राम नैनबारा से बारडीखाड़ा हबीटेट को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है इस सड़क की कुल लम्बाई 9.800 km में से 9.450 km रक्षित वन खण्ड से गुजरता है। वर्तमान में सड़क की औसत चौड़ाई लगभग 7.50 मीटर है। प्रस्ताव में उक्त सड़क का डामरीकरण 3.75 मीटर में किया जाना है तथा मिट्टी की पटरी भराई दोनों तरफ 1.875 मी० की जायेगी। इस प्रकार कुल सड़क की चौड़ाई 7.50 मी० होगी। सड़क के 7.50 मीटर चौड़ाई डामर के भाग में कोई भी वृक्ष नहीं कट रहा है। यह पूरी लम्बाई तक कच्चा रास्ता बना हुआ है। जो कि वर्ष 1980 के पूर्व से निर्मित है, राजस्व नक्शे में भी सड़क मार्ग दर्ज है। जो खसरा नं. नैनबारा 3, 290, 352 व ओड़ा 1638 व 1642 एवं खेरा 12, 15 में से होकर गुजरती है। जिस पर ग्रामवासियों का आना जाना होता रहता है एवं इसको ओ.टी. शीट नं. 45/11 में भी ट्रेल दर्शाया गया है जो कि सन 1970 का है श्रीमान उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल एवं श्रीमान तहसीलदार महो. झाड़ोल द्वारा उक्त रास्ते 1980 के पूर्व होने का प्रमाण पत्र जारी किया है।

अतः उक्त कच्चे रास्ते का डामरीकरण प्रस्तावित है। जिसका अनुमोदन ग्रामसभा से किया जाता है।

(बसन्तीदेवी कटारा)
सरपंच
ग्राम पंचायत–नैनबारा
पं.स. झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नैनबारा
पं.स.-झाड़ोल (फ), जिला-उदयपुर (राज.)

विशेष ग्राम सभा

दिनांक 24/02/19

आज दिनांक 24/2/19 को ग्राम सभा का आयोजन रा.उ.मा.वि. ओरनखेड़ा (ख.ड.) में विशेष ग्राम सभा व आयोजन सरपंच श्री मति शान्ति देवी की अध्यक्षता में की गई। पत्रांक प.स. ... के आदेश क्रमांक पसवा/पीएमएवाई/डी-निदे/2018-19/2807 दि. 13/02/19 के तहत की गई

1. एक मत से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में [illegible] वरीयता सूची के पात्र जो वंचित रहे व परिवारों के आवेदन (आमंत्रित) लिये गये।

क्र.स.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	हस्ताक्षर
1.	शान्ति देवी	सरपंच	[signature] (stamp: सरपंच)
2.	जसवन्त सिंह राजपूत	VDO	[signature]
3.	देवी लाल भरोरा	उपसरपंच	(stamp: ग्राम पंचायत ... पं.स. ... जिला ... (राज.))
4.	कन्हैयालाल मेघवाल	क.स.	[signature]
5.	विनोद कुमार डामोर	P.S	विनोद
6	जगदीश कुमार गोस्वामी	E.G.	जगदीश कुमार
7.	जीवन देवी खराड़ी	आशा सहयोगिनी	जीवन देवी
8	शिवलाल	वार्ड नं 4	शिवलाल जाट
9	बाबूलाल	वार्ड नं 2	[signature]
10	बजरंग	वार्ड नं 1	[signature]
11	गुलाबचन्द	वार्ड नं 3	[signature]
12	[illegible]		[signature]
13	मंजुला	वार्ड नं 5	मंजुला
14	मीराबाई	वार्ड नं 6	मीरा
15	रूपा बाई	वार्ड नं 7	[signature]
16	केसर बाई	वार्ड नं 8	केसरी

[signature]
(... सिंह)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
पं.स. ... जि. ... (राज.)

प्रस्ताव 2

प्रधानमंत्री ग्राम सड़कयोजना के अन्तर्गत नैनवारा से वरडीमात सड़क के 7.0875 हेक्टयर वन भुमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति एवं एफ.आर.ए प्रमाण पत्र का अनुमोदन करना।

ग्राम पंचायत नैनवारा के गाँव नैनवारा से वरडीमात ढासावर को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है
इस सड़क की कुल लम्बाई 9.800 कि.मी. में से
9.450 तक वन क्षेत्र से गुजरती है। वर्तमान
में सड़क की औसत चौड़ाई लगभग 7.50 मीटर है
प्रस्ताव में उक्त सड़क का डामरीकरण 3.75 मी.
में किया जाना है तथा मिट्टी की पटरी भराई दोनों
तरफ 1.875 मी. की जायेगी।
इस प्रकार कुल सड़क की चौड़ाई 7.50 मी. होगी।
सड़क के 7.50 मी. चौड़ाई डामर के भाग में कोई
भी वृक्ष नहि कट रहा है। यह पुरी लम्बाई तक
कच्चा रास्ता बना हुआ है। जो कि वर्ष
1980 के पुर्व से निर्मित है राजस्व नक्सों में भी
सड़क मार्क कर दी है जो आराजी नं. नैनवारा.
3, 290, 352 जोकड़ा- 1638 व 1642 एवं
खेरा - 12, 15 में से होकर गुजरती है। जिस
पर ग्राम वासियों का आवागमण होता रहता है।
एवं इसका जी टी शीट नम्बर 45M/11 में
भी ट्रेक दर्शाया गया है जो कि सन 1970 का है।
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चाडोल एवं श्रीमान
तहसीलदार चाडोल द्वारा उक्त रास्ते 1980
के पुर्व होने का प्रमाण पत्र जारी किया है।
अत: उक्त कच्चे रास्ते पर डामरीकरण
प्रस्तावित है।

(हस्ताक्षर)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नैनवारा
पं.स.-चाडोल (रा.) जिला-जयपुर (राज.)

रमेश

रूपचन्द

रेवतराम

मांगीलाल मंसार

मंगलाराम

हरजीराम

कान्हा

शंकरलाल

गोरधनदास

पूनमचन्द

जगदीश

दिनेश

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं.स.-झाडोल (फ.) जिला-उदयपुर (राज.)

मांगीलाल [illegible]

धन्नो धनिता

निरमो प्रमोद कुमार

[illegible]

रमेश

प्रियंका शंकर

योगेश

धन्ना

(... सिंह)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
क्षे.-... (क), जिला-... (उ०प्र०)

भमय

नेहरू

Prakash

फिराना

शार्मिला

लेखा

सुन्दर

विरमा

सुरसिंह

सोहन

पुना . पुजा

(सिंह)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं.स.-(उ) जिला-जालपुर (राज.)

कमी   हिरा

भेरा   मांगीलाल

हमली   खुमि   लक्ष्मी

ईकरा   हीरा   भैरा

नारा   खुमा   हेमा

गुडा   मांगीरा   प्रकाश

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नेनबारा
पं.स.-झाडोल (फ.), जिला-उदयपुर (राज.)

(कालीदेवी कटारा)
सरपंच
ग्राम पंचायत–नेनबारा
पं.स. झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

प्रतापिया प्रेस, उदयपुर ☏ 2416176

प्रपत्र सं. पी 28
देखिये नियम 63

सत्यप्रतिलिपि

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम मेरा पटवार क्षेत्र नेवज भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मावली तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर राजस्थान सम्वत् 20 ______ से 20 ______

लेवट खतौनी सं. नई	लेवट खतौनी सं. पुरानी	भू-धारकों के नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	संवत् .... के: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	संवत् .... के: भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	संवत् .... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	संवत् .... के लिए: भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	संवत् .... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	संवत् .... के लिए: भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			कांक्रीट नम्बर													
180	144	राज० सरकार	महकमा जंगलात	12	195.80	पहाड	-	-	-							
				14	45.38	पहाड	-	-	-							
				15	32.36	पहाड	-	-	-							
				109	97.68	पहाड	-	-	-							
				904	249.95	पहाड	-	-	-							
			योग खसरा	5												

23/5/19
पटवारी

पनगरिया प्रेस, उदयपुर ✆ 2416179

सत्यप्रतिलिपि
(केवल नकल के उपयोग के लिए)

प्रपत्र सं. पी 25
देखिये नियम 53

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम जेरूडा पटवार क्षेत्र जेरूडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांडवी तहसील झाडोल जिला उदयपुर राजस्थान सम्वत् 20 ___ से 20 ___ 2070 - 2075

काबिज काश्त

खेवट खतौनी सं. नई 1	पुरानी 2	भू-धारकों के नाम 3	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप 4	खसरा संख्या 5	क्षेत्रफल 6	मृदा (भूमि) वर्गीकरण 7	सिंचाई के स्रोत 8	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा 9	कृषक द्वारा: रकम 10	संवत् .... के: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख 11	भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है। 12	संवत् .... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख 13	भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है। 14	संवत् .... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख 15	भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है। 16	टिप्पणियां 17
258	225	गैरखातेदार सरकार	महकमा जंगलात खेरवाडा	1638	182.30	मगरा II		—	—							
				1642	106.27	मगरा II		—	—							
			योग खसरा	2												

पटवारी
पटवार मण्डल जेरूडा
तहसील झाडोल

सत्य प्रतिलिपि

पगारिया प्रेस, उदयपुर ☎ 2416170

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

प्रपत्र सं. पी 26
देखिये नियम 53

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम बैनबारा पटवार क्षेत्र जेकड़ा भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र माडी तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर राजस्थान सम्वत् 20 ______ से 20 ______

काबिल कब्जा

खेवट खतौनी सं. नई	खेवट खतौनी सं. पुरानी	भू-धारकों के नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-वृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा: रकम	संवत् ...... के: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	संवत् ...... के: भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	संवत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	संवत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	संवत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	संवत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
206		राज सरकार	वन्य खेरवाड़ा हल्का बैनबारा	3	36.44	पहाड़		—	—							
				4	144.44	पहाड़		—	—							
				290	41.55	सुखी जंगल		0.37	1537							
				352	40.44	पहाड़		—	—							
			योग खसरा	4												

पटवारी (हस्ताक्षर)
पटवार मण्डल ......
तहसील झाड़ोल

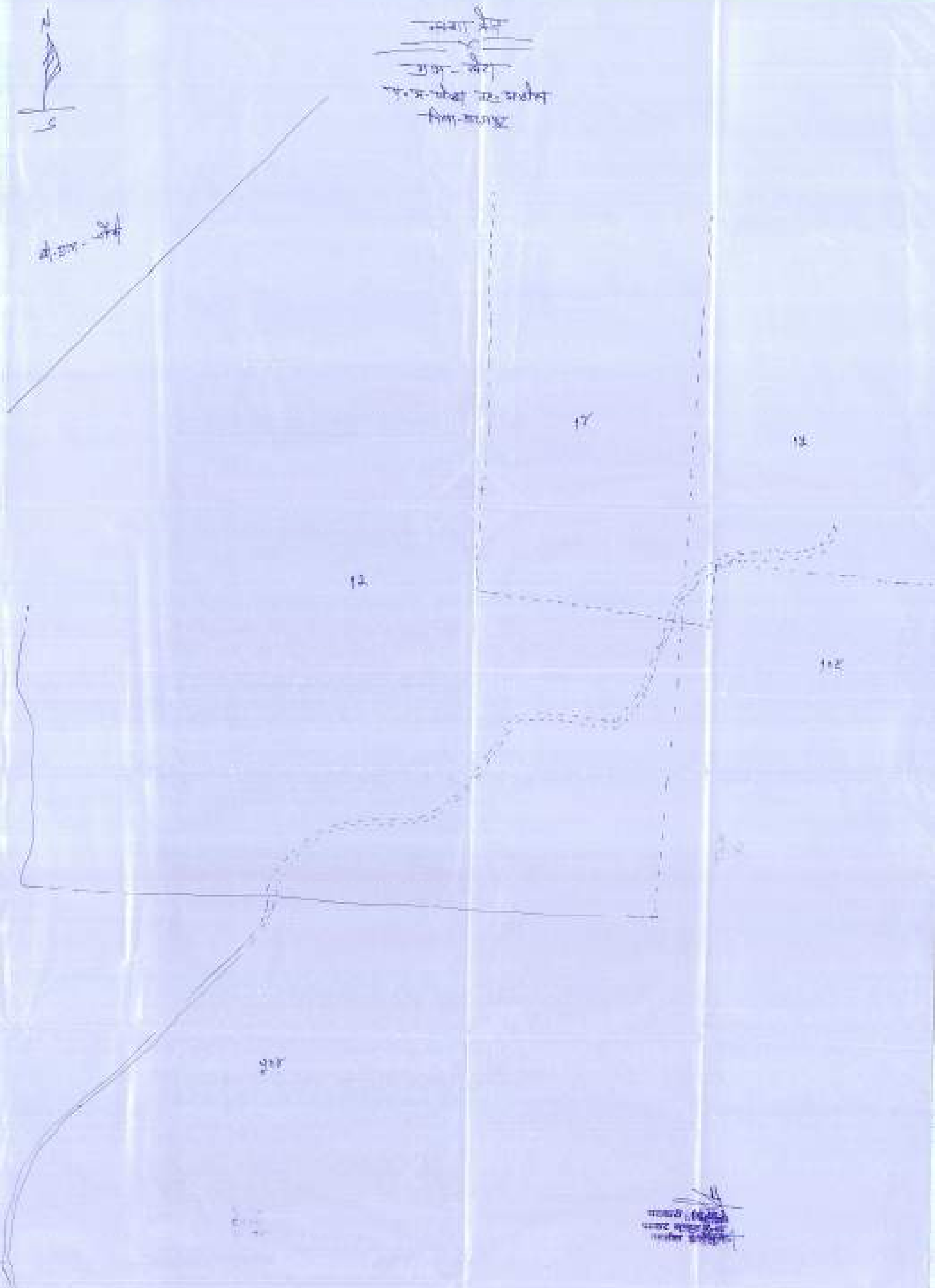
N
S

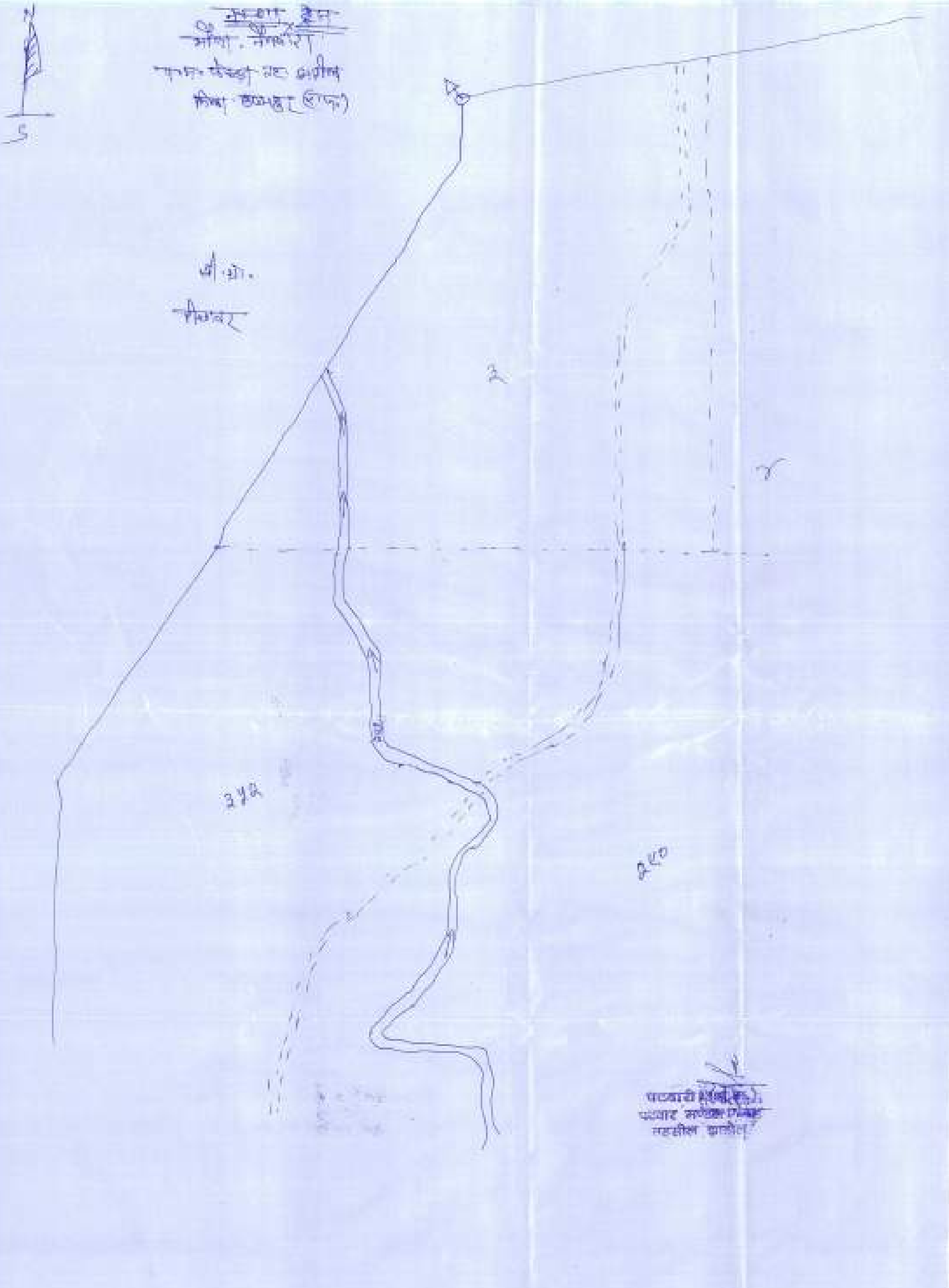

N
S
पटवारी
तहसील

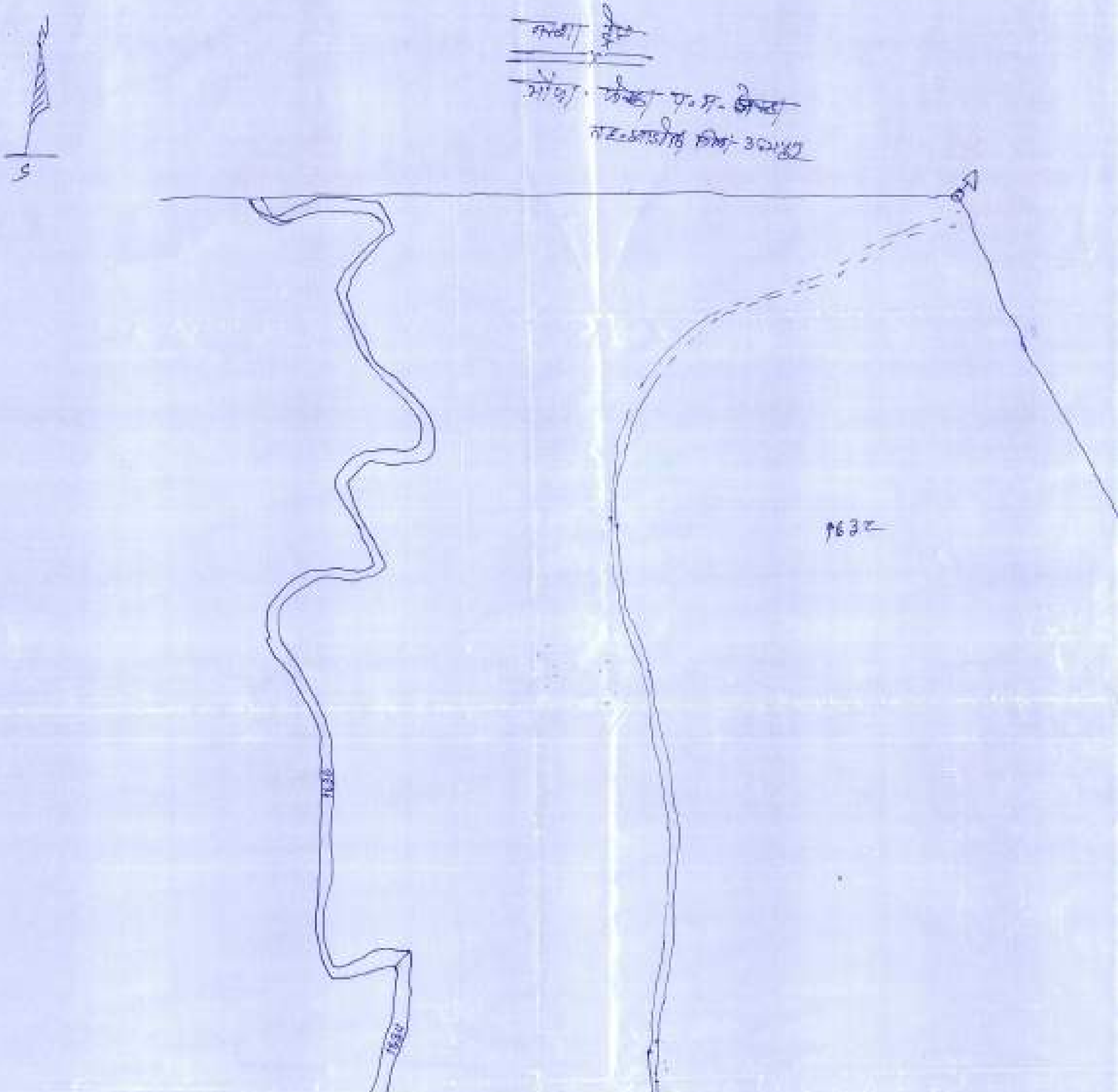
N
S
1632

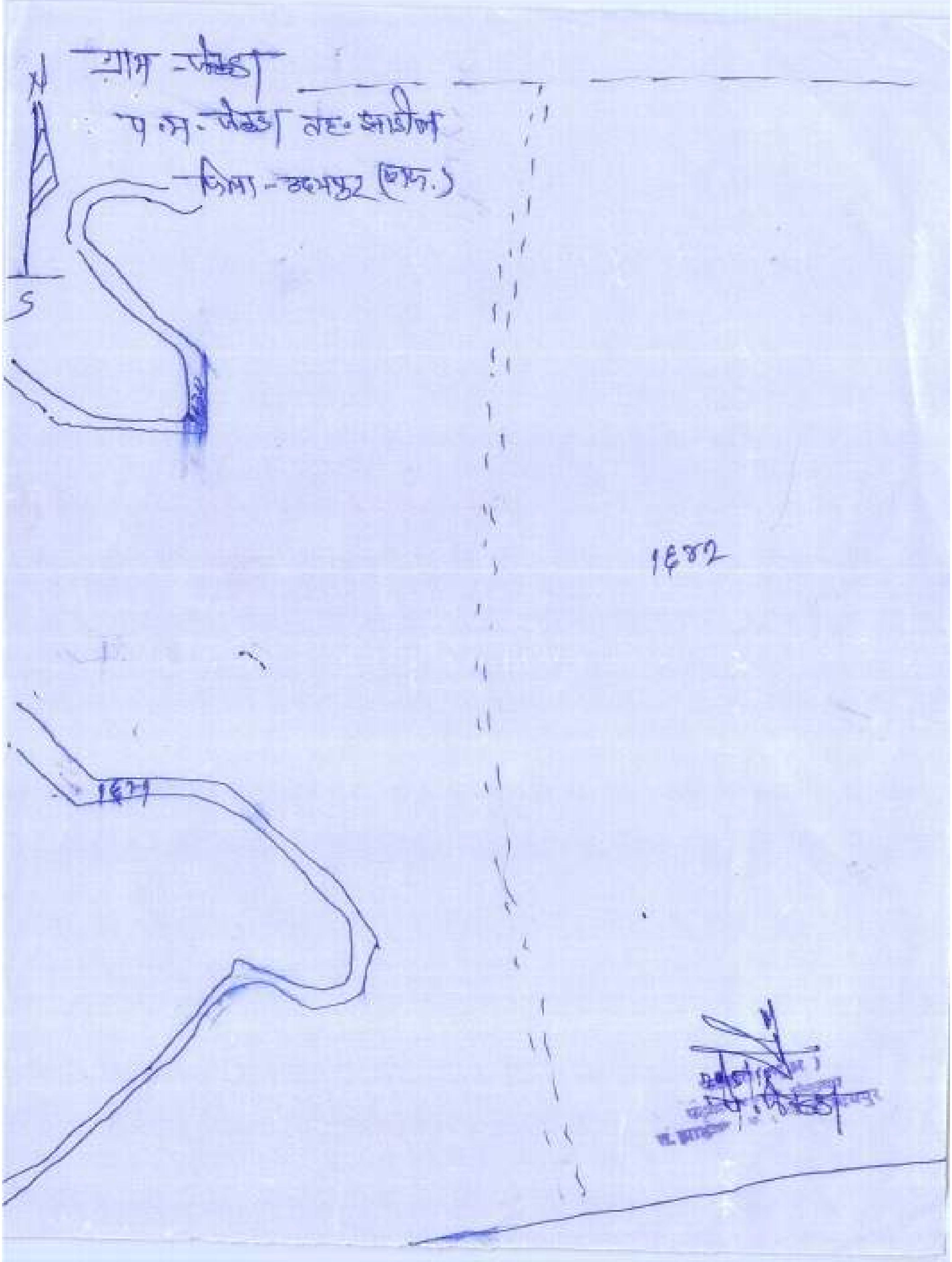
N
S
ग्राम - चेकड़ा
प.स.- चेकड़ा तह. झाडोल
जिला - उदयपुर (राज.)
1682
1683